न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या 60/19 निर्णय दिनांकः–01–01–2020
(आरसीएमएस संख्या 2019/00087)

1. वीरेन्द्र सिंह पुत्र अनारसिंह जाति राजपूत निवासी थैलासर तहसील व जिला चूरू।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, ~~पूगल~~ छत्तरगढ़।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 17–02–1984
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री नायब सिंह, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के निर्णय दिनांक 17–22–1984 जिसके द्वारा अपीलांट को पूर्व में अन्य को आवंटित भूमि का आवंटन किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को बतौर भूमिहीन उपनिवेशन तहसील पूगल के समक्ष दिनांक 04–03–1976 को आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर चक नम्बर 03 एसएलडी के मुरब्बा नम्बर 110/26 के किला नम्बर 1 में 25 की 24 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन दिनांक 17–02–1984 को किया गया तथा आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया। परन्तु अपीलांट को उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि उक्त भूमि पूर्व में ही अन्य व्यक्ति बनेसिंह पुत्र मूलसिंह जाति राजपूत को आवंटित है। इसमें अपीलांट

का कोई दोष नहीं है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है।

राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश है कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे। चूंकि अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व से ही आवंटनशुदा भूमि है इसलिए अपीलांट अन्य भूमि पाने का पात्र है। अदालत मातहत को अपीलांट के आवंटन को निरस्त करते हुए अन्य भूमि आवंटित की जानी चाहिए थी लेकिन अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन न तो निरस्त किया न ही उसकी एवज में अन्यत्र भूमि के आदेश पारित नहीं किये है। जबकि अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 17–02–1984 के विरूद्व अपील दिनांक 08–03–19 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व में ही अन्य को आवंटनशुदा भूमि है। अतः उक्त आराजी अपीलांट को नहीं मिल सकती। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 17–02–1984 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 08–03–2019 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अपीलांट एक ग्रामीण पृष्ठभूमि का काश्तकार व्यक्ति है। जिससे

अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह न्यायालय के दिन—प्रतिदिन की कार्यवाही की जानकारी रखे। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा सामान्य/भूमिहीन के तौर पर आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 04—03—1976 को दिये जाने पर सलाहकार समिति की राय से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के आठ वर्ष उपरान्त दिनांक 17—02—1984 को अपीलांट को सक्षम मानते हुए उपनिवेशन तहसील पूगल में चक 03 एसएलडी के मुरब्बा नम्बर 110/26 के किला नम्बर 1 ता 25 में 24 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया तथा आवंटन पश्चात् आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया। उक्त कार्यवाही की सूचना अपीलांट को नहीं दी गई। उक्त कार्यवाही के उपरान्त बिना रिकार्ड व मौके का अवलोकन किये आवंटन सलाहकार समिति द्वारा वादग्रस्त भूमि अन्य को आवंटित कर दी गई। इसकी सूचना भी आवेदक को नहीं दी गई। वर्तमान में उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार बनेसिंह पुत्र मूलसिंह जाति राजपूत है।

इसप्रकार अपीलांट/आवेदक को उसके आवेदन पत्र पर की गई कार्यवाही की उसे सूचना नहीं दी गई। तत्पश्चात् आगामी वर्षो तक उसके आवंटन का अमल दरामद या खारिज करने की कार्यवाही नहीं की गई। आवेदक के साथ आवंटन अधिकारियों का क्रूर मजाक है। जिस आवंटन आदेश की आगामी वर्षो में क्रियान्विती नहीं हुई तथा राजस्व/उपनिवेशन विभाग के अधिकारी अपना रिकार्ड अपडेट नहीं कर पाये। ऐसे आवंटन का अब कोई अस्तित्व नहीं है।

7. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 17—02—1984 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ~~पूगल~~ छतरगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट की पूर्व आवंटन की क्रियान्विती की जॉच की जाकर पूर्व आवंटन प्रभावी नहीं पाये जाने पर अपीलांट की सक्षमता के अनुसार नये सिरे से समान श्रेणी की भूमि आवंटन की कार्यवाही करें।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 01—01—2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सोंकरिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2020.02.03 11:56:13 IST
Reason: SelfAttested
Location: